

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, चतरा।

(समाज कल्याण शाखा)

(विकास भवन)

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। जिसके अन्तर्गत राज्य में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक एवं अहर्ताधारी व्यक्तियों से निम्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

Sr No. Distt	Sr No. State	Post Code	Unit	Designation	Category	No of Post	Age	Salary/pm	Educational Qualification	Work Experience
1	15	DCPS02	DCPS	संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखरेख	अनारक्षित	01	30-45 Year	Rs.21,000	सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी	बाल कल्याण / बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव
2	16	DCPS03	DCPS	संरक्षण पदाधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख)	अनारक्षित	01	30-45 Year	Rs.21,000	सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी	बाल कल्याण / बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव
3	18	DCPS05	DCPS	परामर्शदाता	अनारक्षित	01	30-45 Year	Rs.14,000	सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी	बाल विकास एवं कॉउंसिलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव
4	19	DCPS06	DCPS	सामाजिक कार्यकर्ता	अनारक्षित	01	30-45 Year	Rs.14,000	सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त	बाल विकास एवं कॉउंसिलिंग में कम से कम 2
					अत्यंत पिछड़ा	01				

					वर्ग				विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी	वर्ष का अनुभव
5	20	DCPS07	DCPS	लेखापाल	अनारक्षित	01	30-45 Year	Rs.14,000	वाणिज्य में स्नातक। कम्प्युटर में दक्षता/टैली का ज्ञान। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय संस्थान से एम0कॉम0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव
6	21	DCPS08	DCPS	ऑकड़ा विश्लेषक	अनारक्षित	01	30-45 Year	Rs.14,000	समाज कार्य/समाज शास्त्र एन्थ्रोपोलॉजी में स्नातक। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव
7	23	DCPS10	DCPS	ऑडिटरीच कार्यकर्ता	अनारक्षित	01	21-35 Year	Rs. 8,000	प्रवेशिका उत्तीर्ण	संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव
					अत्यंत पिछड़ा वर्ग	01				
8	24	CWC01	CWC	सहायक-सह-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	अनारक्षित	01	21-35 Year	Rs.9,000	किसी भी संकाय में स्नातक। कम्प्युटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी-30 W.P.M अंग्रेजी-35 W.P.M सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0सी0ए0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कम्प्युटर कार्य/कार्यालय कार्य का अनुभव

आवेदन की प्रक्रिया :-

1. जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 22/10/2022 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. कम संख्या 01 से 08 तक के जिला स्तरीय पदों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी जिला स्तरीय पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निम्न पता पर भेजा जा सकता है :-

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा,
पता- विकास भवन, चतरा (दूसरा तल्ला),
पो0/थाना/जिला-चतरा (झारखण्ड), पिन कोड-825401

3. उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदन प्रपत्र, नियम एवं शर्तें, शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त योग्यता का विवरणी निम्नलिखित Website-www.chatra.nic.in पर देखी जा सकती है।

नियम एवं शर्तें :- सभी पदों के लिए

1. उम्र सीमा की गणना 01.09.2022 के अनुसार की जाएगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित होगी। जिसे नियमित/स्थायी करने का सरकार को कोई दायित्व नहीं होगा और न ही इस आधार पर किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी का पदों के लिए दावा मान्य होगा।
3. अपूर्ण आवेदन तथा आवश्यक निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी दण्ड के भागी होंगे।
4. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ उक्त अवधि का बैंक पासबुक जिसमें मानदेय/वेतन की राशि अंकित हो की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. राज्य सरकार के द्वारा आवश्यकतानुसार पदों के लिए दावा मान्य होगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के उपरांत जिला स्तरीय नियुक्ति समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
7. संविदा आधारित उपर्युक्त पदों के लिए निर्धारित परिलब्धि (एक मुश्त संविदा राशि) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
8. संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक चरण में एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्य संतोषप्रद पाये जाने एवं आवश्यकता होने पर नियुक्ति का नवीकरण किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्तियाँ स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. उपर्युक्त पदों पर नियुक्त होनेवाले पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह की परिलब्धि करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं होगी तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर दी जायेगी। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
10. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग सरकार के संकल्प ज्ञापांक-3198, दिनांक- 18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविदा आधारित उक्त पदों पर नियुक्तियों के क्रम में उक्त संकल्प के निहित प्रावधान लागू होगा।
11. संविदा आधारित नियुक्त पदाधिकारी/कर्मि का उपर्युक्त पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त कर्मि के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।



उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक-1483...../स0क0

दिनांक-07/10/2022.....

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में अविलम्ब कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना जिले के आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
चतरा।

02

Educational Qualification

Examination Passed	Name of Board/ University	Year of Passing	Percentage of Marks	Grade/ Division

14. Professional/ any other Qualification :

Examination Passed	Name of Board/ University	Year of Passing	Percentage of Marks	Grade/ Division

15. Work Experience :

Sl. No	Name of the Organization	From	To	No. of Years	Nature of Work

16. Whether presently serving in any Government/ Undertaking:

17. Enclosures: Photo Copy of Documents/Certificates related to Educational Qualification, Professional/other Qualification, Age, Work Experience, Caste Certificate, Residential Certificate, any photo Identity Card (Aadhar, Driving License, PAN etc.)

Declaration

Certify that above mentioned information are true, and if found to be false, Jharkhand State Child Protection Society may cancel my candidature at any stage of selection process at its sole discretion.

Note : Candidature is provisional. All candidates are directed to bring their original certificates for verification at the time when asked for by recruiting authority, failing which your candidature will not be considered.

Date:

Place:

(Signature of the Candidate)